HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2229/2020

Vishal Kumar Jain S/o Shri Narendra Kumar Jain

----Appellant

Versus

Shri Narendra Kumar Jain S/o Late Shri Chagan Lal Ajmera

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Abhi Goyal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. M M Ranjan, Sr. Adv. with Mr. Yashvardhan Tolani, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

23/02/2026

आवेदन संख्या 1/25 व 2/25 पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी पक्ष को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

दोनों आवेदनों के माध्यम से निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 12 नारायणदास की मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिया गया था। नोटिस जारी करने पर यह जानकारी हुई कि एक विधिक प्रतिनिधि संख्या 12/1 अर्जुन पुत्र नारायणदास की दिनांक 17.11.2022 को ही मृत्यु हो चुकी है, इस तथ्य की जानकारी नोटिस पर आई रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 25.04.2025 को हुई और दिनांक 05.05.25 को ही वर्तमान दोनों आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, अबेटमेंट अपास्त करने, विलंब माफ करने तथा अर्जुनदास के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेने का निवेदन किया।

अन्य प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदन निस्तारित करने से पूर्व प्रस्तावित विधिक प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किया जाना उचित होगा। इस प्रकार के आवेदन प्रस्तुत होने पर आवेदन के नोटिस जारी किये जा सकते हैं अथवा उपलब्ध सामग्री के आधार पर आवेदन निस्तारित कर यदि विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिया जावे तो उन्हें नोटिस जारी किये जा सकते हैं।

प्रकरण अत्यधिक पुराना है। संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन स्वीकार कर विलंब माफ किया जाता है तथा आवेदन संख्या 1/25 अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी स्वीकार कर अबेटमेंट अपास्त किया जाता है तथा इसी आवेदन के माध्यम से विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेने का जो निवेदन किया गया है वह भी स्वीकार कर विधिक प्रतिनिधि संख्या 12/1 अर्जुन के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिया जाता है। इस प्रकार दोनों आवेदन निस्तारित किये जाते हैं।

संशोधित वाद शीर्षक पेश हो चुका है जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पांच दिन में नियमानुसार पी एफ नोटिस व डाक खर्च पेश किये जाने पर प्रत्यर्थी संख्या 12/1/1 से 12/1/3 को नोटिस सामान्य प्रक्रिया के साथ साथ स्पीड पोस्ट से जारी किये जावे।

पत्रावली छह सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /58